दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
फैक्स (07805) – 234540
email-dmsingrauli-mp@mail.nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली, दिनांक 09/6/26

आदेश

क्रमांक / 1352 / खनिज / कोयला / अवैध परिवहन / 2026 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 165 / आर.डी.एम. / कानून व्यवस्था / 2026 सिंगरौली दिनांक 22.05.2026 से, दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 24.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुये जिला अन्तर्गत सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राखड़) एवं कोयले का परिवहन प्रतिबंधित किया गया था।

तहसीलदार, सरई के प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2026 अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करने वाले वाहनों क्रमशः CG15ED4857, MP66ZC1397, MP66ZC6329, एवं CG15ED4286, MP17ZM9456, MP66ZD3759, CG15EK3760, UP25ET7040, UP25ET6546, CG15EE5448, UP64BT4137, NL01AH0259, BR45GB1561 के द्वारा रेलवे साइडिंग (ए0सी0सी0 लिमि0) सरई में दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6.00 बजे के बाद खनिज कोयले का परिवहन किया गया है।

उपरोक्त सभी वाहनों को कोयला परिवहन हेतु मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह. कारपोरेशन लिमि. द्वारा ई–टीपी जारी कर खनिज कोयला प्रदाय किया गया है। साथ ही वाहन क्रमांक CG15EE5448 को मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह.कारपोरेशन लिमि. के साथ साथ टी0एच0डी0सी0 इंडिया लिमि0 द्वारा भी ई–टीपी जारी कर खनिज कोयला प्रदाय किया गया है। सम्बन्धित सभी वाहनों के ट्रान्सपोर्टर अदानी लॉजिस्टिक, मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह. कारपोरेशन लिमि. के पक्ष में स्वीकृत सुलियरी कोल माइन के एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज हैं। सम्बन्धित वाहनों द्वारा कोयला परिवहन ए0सी0सी0 लिमि0 की रेलवे साइडिंग सरई में किया जा रहा था।

अतः परियोजना प्रमुख मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह.कारपोरेशन लिमि. एवं टी0एच0डी0सी0 इंडिया लिमि0 ट्रान्सपोर्टर अदानी लॉजिस्टिक, एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज एवं क्रेता ए0सी0सी0 लिमि0 तथा सम्बन्धित वाहन मालिकों द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में समाधानकारक जबाब 2 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करने हेतु क्रमशः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1248, दिनांक 29.05.2026, पत्र क्रमांक 1246, दिनांक 29.05.2026, पत्र क्रमांक 1202, दिनांक 27.05.2026, पत्र क्रमांक 1204, दिनांक 27.05.2026, पत्र क्रमांक 1206, दिनांक 27.05.2026, पत्र क्रमांक 1242, दिनांक 27.05.2026, से नोटिस जारी किया गया।

APMDC परियोजना द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि **"In spite of our instructions, the vehicles have flied on the road in the restricted area during the prohibited period. In this connection, we humbly submit that the responsibility of the APMDC in accordance with the agreements with the Transporters/Buyers will get seized soon after loading the coal into the trucks from our stockyards, weighment at the weighbridges and issuing e-TP."**

"It is also humbly submitted that the APMDC has been following the orders of the district authorities from time to time and also following the rules related to Law and order in true spirit. You are well aware that the APMDC has been taking all kinds of measures which will serve the safety, protection and welfare of the general public concerned. The vehicles which are seized now have violated the directions can be attributed to the particular transporter/buyer."

परियोजना प्रमुख टी0एच0डी0सी0 इंडिया लिमि0 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार **"टी0एच0डी0सी0 इंडिया लिमि0 द्वारा दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6.00 बजे के बाद अमिलिया कोल माइन से रेलवे साइडिंग (ए0सी0सी0 लिमि0) सरई तक कोयले का परिवहन नही किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कोयला परिवहन का मार्ग आम जनता अथवा अन्य सार्वजनिक वाहनों के उपयोग हेतु खुला नही होने के कारण उक्त मार्ग से किये जाने वाले कोयला परिवहन को संदर्भित आदेश के उल्लंघन की श्रेणी में नही मानने का अनुरोध किया गया है।"**

ट्रान्सपोर्टर अदानी लॉजिस्टिक द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार **"The records show that all the mentioned vehicles were on a dedicated stretch of road (not on a public road) and were unloaded at Saraigram Railway Siding on or before 6.00 AM on 23 May 2026 , except for one vehicle which was delay in transit from Suliyari mines (source) to Saraigram siding (destination) "**

अदानी इन्टरप्राइजेज की ओर से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि **"Adani Enterprises Ltd.. APMDC की MDO (Mine Developer and Operator) है। MDO के रुप में उनकी भूमिका खनन गतिविधियों तक सीमित है। कोयले का परिवहन उनके द्वारा नही किया जाता है और इसमें Adani Enterprises Ltd. की कोई भूमिका नही है।"**

ए0सी0सी0 लिमि0 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार **"The Company strictly follows the law of the land and has established standard controls within and outside the factory permises, includind for the transportation of minerals. We have a robust monitoring system for vehicles deployed for the coal transportation through a digital control room, ensuring high standards of safety, even though the transportation service has been outsourced"**

सम्बन्धित वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके द्वारा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई प्रतिबंधित अवधि में कोयला प्राप्त नही किया गया है।

यद्यपि कोयला परिवहन का कार्य संविदाकार/परिवहनकर्त्ता के माध्यम से कराया जा रहा है, तथापि खदान संचालक संस्था APMDC, THDC तथा MDO Adani Enterprises Ltd. उक्त कार्य की प्रधान नियोजक (Principal Employer) होने के कारण कोयला खनन तथा सम्बद्व गतिविधियां जैसे – कोयला परिवहन तथा परिवहन व्यवस्था में पूर्ण रुप से उत्तरदायी है। कोयला परिवहन हेतु APMDC द्वारा ACC को D. O. (Delivery Order) जारी किया जाता है। तद्नुसार उक्त कोयले के नियमानुसार परिवहन की जिम्मेदारी APMDC तथा ACC दोनों की है। ए0सी0सी0 लिमि0 Railway Siding (Sarai) सरई की Principal Employer की श्रेणी में होने से Transportation के कृत्य के लिये प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार है।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्व होता है कि APMDC, THDC एवं एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज से कोयला प्राप्त वाहन प्रतिबंधित अवधि के दौरान सरई क्षेत्र में परिवहन करते पाये गये। फलस्वरुप समाधान होता है कि APMDC, THDC एवं परिवहनकर्त्ता अदानी लॉजिस्टिक, एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज तथा क्रेता ए0सी0सी0 लिमि0 द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 165 दिनांक 22.05.2026 का स्पष्ट उल्लंघन कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है।

अतः परियोजना प्रमुख APMDC, THDC एवं परिवहनकर्त्ता अदानी लॉजिस्टिक, एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज तथा क्रेता ए0सी0सी0 लिमि0 द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 का उल्ल्ंधन होने से दण्डनीय अपराध है।

अतएव सम्बन्धित परियोजना APMDC, THDC एवं परिवहनकर्त्ता अदानी लॉजिस्टिक, एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज तथा क्रेता ए0सी0सी0 लिमि0 के विरुद्व भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(गौरव बैनल)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र. / 1353 / खनिज / अवै.परि. / 2026 सिंगरौली, दिनांक 09/6/26

प्रतिलिपि :–

01– तहसीलदार सरई, की ओर सूचनार्थ एवं सम्बन्धित परियोजना प्रमुखों (APMDC, THDC) तथा परिवहनकर्त्ता अदानी लॉजिस्टिक, एम0डी0ओ0 अदानी इन्टरप्राइजेज तथा क्रेता ए0सी0सी0 लिमि0 के विरुद्व तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।

02– थाना प्रभारी, थाना .... की ओर पालनार्थ।

03– परियोजना प्रमुख / ट्रान्सपोर्टर / एम0डी0ओ0 / क्रेता .... की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)